झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची।

आपराधिक पुनरीक्षण सं0—1014 वर्ष 2006

मो0 सरफुद्दीन .... याचिकाकर्त्ता

बनाम्

झारखण्ड राज्य .... विपक्षी पार्टी

उपस्थित : माननीय न्यायमूर्ति श्री दीपक रोशन

याचिकाकर्त्ता के लिए :— श्री निवास राय, अधिवक्ता।

राज्य के लिएः— श्री एस0के0 श्रीवास्तव, अतिरिक्त लोक अभियोजक

05/तारीखः2 जनवरी, 2023

पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना।

2. यह पुनरीक्षण आवेदन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक कोर्ट सं0—VII, गिरिडीह द्वारा आपराधिक अपील संख्या—01/2005 में पारित दिनांक 29.04.2006 के फैसले के खिलाफ निर्देशित है जिसके द्वारा जी0आर0 केस संख्या 1058/2001 (टी0आर0 सं0 1538/2002) के संबंध में विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी, प्रथम श्रेणी, गिरिडीह द्वारा दिनांक 23.12.2004 को दोषसिद्धि का निर्णय और सजा का आदेश पारित किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को भा0दं0सं0 सी0 की धारा 323, 325, 341 और 326 के तहत दोषी ठहराया गया था और भा0दं0सं0 की धारा 325 के तहत दो वर्ष की सधारण

कारावास भुगतने की सजा सुनाई गई। इसके अलावा भा0दं0सं0 की धारा 326 के तहत 3 वर्ष की कठोर कारावास एवं 500/– रूपये का जुर्माना की सजा सुनाई गई एवं जुर्माना अदा न करने पर एक महीने का साधारण कारावास और भुगतेंगे और सभी सजाओं को एक साथ चलाने का आदेश दिया गया था, को अपीलीय न्यायालय द्वारा इस हद तक संशोधित किया गया है कि याचिकाकर्ता को भा0दं0सं0 सी0 की धारा 341 और 325 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया है और भा0दं0सं0 सी0 की धारा 323 और 326 के तहत दोषी ठहराया गया है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील सजा के सवाल पर ही अपने दलील को इस आधार पर सीमित रखते हैं कि तत्काल मामला वर्ष 2001 का है और लगभग 22 साल बीत चुके हैं और तब से याचिकाकर्ता को चल रहे मुकदमेबाजी के लिए मानसिक पीड़ा का सामना करना पड़ा होगा। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह एकमात्र मामला है याचिकाकर्ता के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और उसके खिलाफ कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता एक अधेड़ आयु वर्ग का व्यक्ति है और लगभग 254 दिनों तक हिरासत में भी रहा है और उसने कभी भी जमानत के विशेषाधिकार का दुरूप्योग नहीं किया गया है और वह आदतन अपराधी नहीं है, इसलिए इस न्यायालय द्वारा कुछ नरमी दी जा सकती है और सजा को पहले से भुगत चुकी अवधि में संशोधित किया जा सकता है और जुर्माने की राशि को हटाया जा सकता है।

4. विद्वान अति0 लो0अभि0 ने याचिकाकर्ता के तर्क का विरोध करते हैं और प्रस्तुत करते हैं कि समवर्ती निष्कर्ष है और इस तरह किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, हालांकि वह निष्पक्ष रूप से स्वीकार करता है कि रिकॉर्ड के अनुसार याचिकाकर्ता की कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

5. निचली अदालत के अभिलेख सहित आक्षेपित निर्णयों को पढ़ने के बाद एवं याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता की सीमित दलीलें और पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार के दायरे को ध्यान में रखते हुए, मैं निचली अदालतों के निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हूँ और इस तरह विद्वान विचारण अदालत द्वारा पारित और विद्वान अपील न्यायालय द्वारा बरकरार रखे गए दोषसिद्धि के निर्णय, एतद्द्वारा बरकरार रखा जाता है।

6. हालांकि, जहाँ तक सजा का संबंध है, यह अभिलेख से स्पष्ट है कि घटना वर्ष 2001 की और 22 वर्ष बीत चुके हैं और याचिकाकर्ता को पिछले 22 वर्षों से मुकदमें की कठोरता का सामना करना पड़ा होगा। याचिकाकर्ता लगभग 254 दिनों तक हिरासत में रहा और अब वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति है और इस स्तर पर उसे वापस जेल भेजने से पूरे परिवार को परेशानी होगी। इसके अलावा, यह नहीं कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने कभी भी जमानत के विशेषाधिकार का दुरूप्योग किया है। इसके अलावा, यह घटना याचिकाकर्ता की ओर से किसी क्रूरता या किसी मानसिक भ्रष्टता को नहीं दर्शाती है।

7. इस तरह की स्थिति में, मेरी राय है कि याचिकाकर्ता/दोषी को वापस जेल भेजने से कोई सार्थक उद्देश्य पूरा नहीं होगा बल्कि यदि सजा/जुर्माने को जुर्माने में बदलने में संशोधित किया जाता है तो इससे न्याय का हित पर्याप्त होगा।

8. इस प्रकार, विचारण न्यायालय द्वारा पारित और अपीलीय न्यायालय द्वारा संशोधन के साथ बरकरार रखी सजा को, एतद्द्वारा, इस हद तक संशोधित किया जाता है कि याचिकाकर्ता को पहले से सजा भुगत चुकी अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है, इस शर्त पर कि वह 10,000/– रूपये के जुर्माने का भुगतान करेगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि याचिकाकर्ता उपरोक्त 10,000/– रूपये की राशि का भुगतान आज से 4 महीने के अवधि के भीतर डी0एल0एस0ए0, गिरिडीह के समक्ष करेगा। ऐसा न करने पर वह विद्वान निचली अदालत के आदेश के अनुसार शेष सजा काटेगा।

10. उपरोक्त टिप्पणियों, निर्देशों और केवल सजा/जुर्माने में संशोधन के साथ, तत्काल आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन का निपटारा किया जाता है।

11. उपरोक्त शर्तों को पूरा करने पर याचिकाकर्ता को उसके जमानत बॉड के दायित्व से मुक्त कर दिया जाएगा।

12. इस आदेश की एक प्रति निचली अदालतों और सचिव, डी0एल0एस0ए0, गिरिडीह और याचिकाकर्ता को भी संबंधित पुलिस स्टेशन के प्रभारी अधिकारी के माध्यम से सूचित की जाए।

13. निचली अदालत के रिकॉर्ड को तुरंत संबंधित अदालत में भेजा जाए।

(दीपक रोशन, न्याया0)